

नगर पालिका, बगर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BAGGAR/FIRENOC/2025-26/53698
जारी दिनांक: 17-NOV-2025 वैधता दिनांक: 16-NOV-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RADHE SHYAM YOGI
आवेदक का पता: BAGAR JHUNJHUNU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन PIRAMAL GIRLS SR. SEC. CBSE SCHOOL, BAGGAR, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
2. रोप लेडर व दो स्स्था भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
5. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विरप्रेटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
8. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया अतिबंधित रहेगा।
10. यदि राज्य सरकार या बिगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
11. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
12. पानी के टैंक हर रागय भरे रखने होंगे। पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
13. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

Signed by: Pramod Kumar Jangir
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BAGGAR, Rajasthan
Date: 17/11/2025 2:35:10



8143324

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, बगर